

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2026

क्रमांक-1/1/1/0001/2026-GAD-2-01(GAD)- राज्य शासन, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2023 में आयोजित संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए मुख्य सूची के गुणानुक्रम में अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान पी. बी. 3 रुपये 15600-39100+5400/- (पे-मैट्रिक्स लेवल 12) में उप जिलाध्यक्ष (डिप्टी कलेक्टर) के पद पर अस्थायी रूप से प्रावधिक आधार पर नियुक्त करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) में आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन रहते हुए परिवीक्षाधीन उप जिलाध्यक्ष (डिप्टी कलेक्टर) के पद पर पदस्थ करता है :-

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम एवं पता
1.	1	श्री अजीत कुमार मिश्रा, पता- ग्राम महलरामपुर, पोस्ट सधनिया, थाना सलेहा, तहसील गुनौर जिला पन्ना, मध्यप्रदेश - 488058
2.	2	श्री भुवनेश चौहान, पता - एम 243, भेल संगम कॉलोनी, नियरबाय V-81 वैष्णो परिसर भोपाल, मध्यप्रदेश - 462026
3.	3	श्री यशपाल स्वर्णकार, पता - 127, ग्राम खमकुआ, पोस्ट विदवास, थाना सुरखी जिला सागर, मध्यप्रदेश - 470221
4.	4	श्री अभिषेक जैन, पता- म.नं. 83, वार्ड नं. 07 सेन्ट्रल बैंक के सामने, विद्या नगर, तेंदूखेडा जिला दमोह, मध्यप्रदेश - 470880
5.	5	श्री अनुराग गुर्जर, पता -80, टाईप 02, ग्रिफिन्स कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश - 452001
6.	6	सुश्री प्रिया अग्रवाल, पता- वार्ड नं. 07, पुरानी बाजार, बिरसिंहपुर, जिला सतना, मध्यप्रदेश - 485226
7.	7	सुश्री अर्पिता राय, पता- बी-09, वीणा नगर, सुखलिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश - 452010



.....02

8.	8	श्री सूरज सिंह, पता - बाबरखेडा पचोखरा, पोस्ट ऑफिस दीखतपुरा, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश - 476001
9.	9	श्री कल्पेश सिंघई, पता- 52, वार्ड क्रमांक 04, पुरानी पानी की टंकी के पास, खिमलासा, सागर, मध्यप्रदेश - 470118
10.	10	सुश्री अदिति जैन, पता- जैन मोहल्ला, मड़देवरा तहसील बक्सवाहा जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश - 471318
11.	11	श्री अंकित उक्के, पता -वार्ड नं. 42, ग्राम बैढ़न जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश - 486886
12.	12	सुश्री मोना दांगी, पता- 36, आर आर कम्पाउण्ड, भवरासला, इन्दौर, मध्यप्रदेश - 453555
13.	13	श्री आरुषि गुप्ता, पता - मकान नं. 42, भाग्यश्री कॉलोनी, मंगल सिटी के पीछे, विजयनगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश - 452010
14.	14	श्री नरेन्द्र सिंह मेवाडा, पता- वार्ड नं. 16, मकान नं. 77, बजरंग कॉलोनी, आष्टा जिला सीहोर, मध्यप्रदेश - 466116
15.	15	श्री अक्षांश श्रीवास्तव, पता -राजगढ के नीचे, दतिया, मध्यप्रदेश - 475661।
16.	16	श्री पंकज परमार, पता - ग्राम सुमराखेडी, पोस्ट भौरांसा तहसील सोनकक्ष जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455115
17.	17	श्री सिद्धार्थ मेहता, पता -वार्ड नं. 03, सदर बाजार मोहल्ला, रावटी जिला रतलाम, मध्यप्रदेश - 457001
18.	19	सुश्री रानी अहिरवार, पता - वार्ड नं. 29, गली नं. 02, बंटी नगर सागर रोड विदिशा, मध्यप्रदेश - 464001
19.	20	सुश्री रश्मि कुशरे, पता- म.नं. 33, साकेत नगर, ग्राम पंचायत देवरा जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश - 481880
20.	21	सुश्री सीमा बडोले, पता - 73, आशीष नगर कॉलोनी, तेजाजी नगर, खण्डवा रोड इन्दौर, मध्यप्रदेश - 452020
21.	22	श्री कृष्णपाल सिंह बघेल, पता- बी-53, सिलिकॉन सिटी, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश - 452012



22.	23	सुश्री शीतल ठाकुर, पता - उपजेल कॉलोनी वार्ड नं. 03, वारा, वारासिवनी, बालाघाट, मध्यप्रदेश - 481331
23.	24	सुश्री सोनाली डावर, पता- डाक्टर कॉलोनी, बडवानी, मध्यप्रदेश - 451551

2/ उपरोक्तानुसार नियुक्त होने वाले अधिकारियों की परीवीक्षा अवधि, स्थायीकरण वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1975 के अंतर्गत शासित होंगे।

3/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। सेवा संबंधी मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाए और उन्हें लागू किया जाये, के अधीन रहेंगे।

4/ उपरोक्त परीवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा, कि परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परीवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय तथा प्रशिक्षण व्यय शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। बॉण्ड का प्रारूप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इसे सामान्य प्रशासन विभाग 'कार्मिक' में प्रस्तुत करें।

5/ प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994) क्रमांक 21 सन् 1994 के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

6/ समस्त परीवीक्षाधीन अधिकारी सर्वप्रथम इस आदेश में उल्लेखित अनुसार पदस्थापना स्थान में उपस्थित होकर इस आदेश के जारी होने के दिनांक से दिनांक 06/02/2026 तक की अवधि में कार्यभार ग्रहण करते हुए दिनांक 09/02/2026 से प्रारंभ होने वाले 123वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 08/02/2026 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

7/ समस्त परीवीक्षाधीन अधिकारियों को परीवीक्षा अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् ली जाने वाली विभागीय परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।



8/ यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिकाओं (एस.एल.पी. क्रमांक 8764/2023, एस.एल.पी. क्रमांक 12398/2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 12195/2024, डब्ल्यू. पी. क्रमांक 6040/2024, डब्ल्यू. पी. क्रमांक 6210/2024, डब्ल्यू. पी. क्रमांक 6337/2024, डब्ल्यू. पी. क्रमांक 9156/2024) एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।

9/ यह नियुक्ति आदेश के सरल क्रमांक 01 से 23 पर अंकित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 24.11.2012 में प्रावधान अनुसार प्रावधिक रूप से की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल विवरण प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

10/ यह नियुक्ति आदेश जाति प्रमाण पत्र/EWS प्रमाण पत्र/मूल निवासी प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर से प्राप्त होने की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि उक्तानुसार सत्यापन की रिपोर्ट में कोई अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

11/ उपरोक्त नवनियुक्त उपजिलाध्यक्षों में से जो पूर्व से सेवा में नियोजित हैं, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अथवा विधिवत प्राप्त त्याग पत्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति आदेश के पालन में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

12/ यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण/असत्य अथवा मिथ्या पाई जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए एवं बिना कारण बताए सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस0 के0 सन्ने)

अवर सचिव 'कार्मिक'

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2026

पृ0 क्रमांक-1/1/1/0001/2026-GAD-2-01(GAD)
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश।,

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासनकी ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निवेदन है आपके अधीनस्थ कार्यरत चयनित उम्मीदवारों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजे एवं यदि किसी के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित/लंबित हो कृपया उन्हें भारमुक्त न करें एवं उसकी सूचना तत्काल इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल की ओर आपके पत्र दिनांक 27/01/2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 11227/71/2025/चयन, दिनांक 18.11.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
7. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-6/7 (3) मंत्रालय।
8. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
9. प्रभारी जनसंपर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
10. प्रभारी एन.आई.सी. ग्राउण्ड फ्लोर मंत्रालय, भोपाल।
11. अवर सचिव (स्थापना), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग— कृपया उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री.....की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि –
- (1) आप आदेश के जारी होने के दिनांक से दिनांक 06/02/2026 तक की अवधि में कार्यभार ग्रहण करते हुए दिनांक 09/02/2026 से प्रारंभ होने वाले 123वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 08/02/2026 को सायं 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें।
- (2) यदि आप पूर्व से शासकीय सेवा में हो तो कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा विधिवत प्राप्त त्याग पत्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति आदेश के पालन में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
- (3) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आदेश की कण्डिका 04 अनुसार एक बॉण्ड शासन के पक्ष में अनिवार्य रूप से निष्पादित करना होगा।
13. आर्डर बुक/गोपनीय चरित्रावली/विभागीय जांच/अचल संपत्ति/न्यायालयीन /पेंशन/ पदोन्नति पटल, सामान्य प्रशासन विभाग "कार्मिक" कक्ष-6 लेखा शाखा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव कार्मिक
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग